भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2532
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

ग्रामीण विद्यालयों की बुनियादी अवसंरचना

2532. **श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:**
श्रीमती लवली आनंदः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्यालयों में अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क)और(ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2018-19 से पूरे देश में समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिले, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें सतत अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए। समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल के बुनियादी ढांचे जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय, चारदीवारी, मुख्य मरम्मत, पेयजल, स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग, फर्नीचर की आपूर्ति आदि को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्योरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): शिक्षकों की भर्ती, उनकी सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित विषय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है। भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, छात्रों की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप शिक्षकों की बढ़ती आवश्यकता जैसे कई कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों और परामर्शों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से इन रिक्तियों को भरने और उनकी तर्कसंगत तैनाती करने का अनुरोध करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

****

अनुलग्नक

'ग्रामीण विद्यालयों की बुनियादी अवसंरचना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे और श्रीमती लवली आनंद द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2532 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित धनराशि - 2024-25

(रुपए लाख में)

राज्य	अतिरिक्त कक्षाएँ	कला / शिल्प कक्ष	लड़कों का शौचालय	लड़कियों का शौचालय	सीड ब्ल्यूए सएन शौचालय	विज्ञान प्रयोग शाला	भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला	जीवविज्ञान प्रयोगशाला	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला	कम्प्यूटर कक्ष	पेय जल	विद्युतीकरण	पुस्तकालय कक्ष	रैम्प और हैण्डरेल
आंध्र प्रदेश	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	573.50	0.00	0.00	0.00	3935.67	0.00	0.00	2471.70	0.00
अरुणाचल प्रदेश	1065.00	0.00	265.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	95.14	0.00
असम	9915.95	0.00	1965.00	1790.34	0.00	4629.66	341.53	360.51	360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	146.02
बिहार	24256.54	0.00	6203.86	7593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3537.84	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ	2964.23	137.34	539.38	246.16	179.55	466.02	0.00	0.00	0.00	206.08	42.00	0.00	417.79	10.80
गुजरात	9566.40	0.00	657.20	690.12	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	8100.84	562.02	0.00	0.00	0.00	398.75	712.50	741.00	769.12	119.20	0.00	0.00	377.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	1552.95	2091.69	40.50	22.50	0.00	1284.01	77.35	123.76	92.82	856.44	0.00	17.50	2287.63	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	9389.68	270.00	564.41	264.95	65.34	216.00	342.00	378.00	378.00	576.00	0.00	0.00	869.40	0.00
झारखंड	2648.12	0.00	563.75	362.88	29.28	114.57	25.46	89.11	89.11	0.00	130.69	0.00	0.00	0.00

कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	74.40	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	210.00	290.40	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	3.90	0.00	4.75
लद्दाख	455.90	37.13	47.65	33.44	8.62	36.60	0.00	0.00	0.00	36.60	9.15	16.80	19.30	21.00
मध्य प्रदेश	5737.60	1059.50	2219.02	2519.54	161.00	1235.00	550.48	550.48	571.48	1059.50	135.00	0.00	1059.50	0.00
महाराष्ट्र	986.40	496.00	3393.50	1859.00	2860.00	315.00	210.00	192.50	192.50	297.00	0.00	0.00	550.00	0.00
मणिपुर	1685.00	175.00	240.00	315.00	0.00	409.21	225.00	225.00	225.00	475.00	376.00	0.00	498.40	0.00
मिजोरम	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.83
ओडिशा	14205.75	0.00	7085.61	3408.33	2013.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	885.30	0.00	0.00
पंजाब	1585.30	152.80	239.04	268.71	540.00	703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.52	0.00
राजस्थान	6770.07	567.16	241.80	1279.68	0.00	10719.74	0.00	0.00	0.00	6917.02	2815.62	0.00	11305.00	0.00
सिक्किम	111.00	0.00	175.65	76.84	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	10.91	0.00	29.50
तमिलनाडु	4997.36	0.00	1651.40	3398.40	1378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	1898.70	399.37	91.80	135.00	162.90	322.15	112.72	113.07	115.34	309.29	0.00	0.00	311.10	38.48
उत्तर प्रदेश	15815.46	12.50	24.80	18.60	408.36	0.00	43.50	174.00	58.00	150.00	150.00	0.00	175.00	3.41
उत्तराखंड	2228.38	639.52	296.53	368.27	5.82	401.55	642.48	722.79	749.56	824.34	0.00	8.16	742.28	0.00
पश्चिम बंगाल	2148.16	0.00	223.14	220.40	0.00	820.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**128249.98**	**7266.03**	**26939.04**	**25552.11**	**8258.36**	**22645.14**	**3283.03**	**3670.22**	**3601.432**	**15888.13**	**7225.34**	**1097.97**	**21424.75**	**254.79**

स्त्रोत : प्रबंध